

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, we highlight vacancies since it is the function of the State Government to ensure that those vacancies which are of sanctioned posts, are filled. But also, Sir, I would like to highlight that once we sanction anganwadi centre's construction, there are times when States also surrender them. Just, for an example, Sir, to illustrate this point, 253 anganwadi centres were surrendered by the Government of Delhi and accepted by us in November, 2018. So, we calibrate where such services are shut down, and then, calibrate the sanctioned posts, and then, process our request again to the State Government to fill the vacancies.

श्रीमती विप्लव ठाकुर: चेयरमैन सर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि आप आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने का जो क्राइटीरिया बनाते हैं, उसमें भौगोलिक स्थितियों का ध्यान रखा जाता है? जैसे हिमाचल प्रदेश है, जो बहुत ही high hills में है, वहाँ पर population scattered है। इसके चलते एक जगह से एक आंगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चों को आने के लिए कई-कई बार 5-5, 6-6 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या आप भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए norms में थोड़ी ढील देगी, जिससे कि वहाँ पर छोटी-छोटी जगहों पर आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जा सकें?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, centres are open not only in rural and hilly areas but services are also provided in urban centres, and in conjunction with the State Governments, wherever need arises, we give relaxation as and when the States so desire.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: माननीय सभापति महोदय, स्टेट गवर्नमेंट आंगनवाड़ी वर्कर्स से अन्य कार्य लेती है, जैसे इलेक्शन का काम, जनगणना का काम आदि। मैं यह जानना चाहता हूँ कि चूँकि उनसे बहुत काम लिया जाता है, इसलिए उनका जो मानदेय 3,500 रुपये आपने निर्धारित किया है, क्या उसको बढ़ाकर पूरे देश में, सभी राज्यों में इनको एक समान मानदेय देने पर विचार करेंगी, 5,000 रुपये से अधिक देने पर विचार करेंगी?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, the honorarium given is pan India. It is not an honorarium that varies from State to State.

MR. CHAIRMAN: Q.No. 113. The questioner is not present. Are there any supplementaries?

*113. [The questioner was absent.]

झारखंड में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

113. **श्री समीर उरांव:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड में कुल कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले जाने की योजना है;

(ख) झारखंड में अब तक कुल कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले जा चुके हैं; और

(ग) झारखंड में इन विद्यालयों में प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी कुल कितनी धनराशि व्यय किए जाने की योजना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता): (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने झारखंड राज्य के लिए कुल 46 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्वीकृत किए हैं, जिनमें से वर्तमान में 13 ईएमआरएस कार्यशील हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्य में 47 अन्य ब्लॉकों में ईएमआरएस स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। मंत्रालय प्रति छात्र प्रति वर्ष 1,09,000 / - रुपये की आवृत्ति लागत प्रदान करता है, जिसमें मेस, यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, प्रसाधन, उपभोग्य सामग्रियों, कर्मचारियों के वेतन, कार्यालय व्यय, कंप्यूटर उपभोग्य सामग्रियां प्रयोगशाला उपभोग्य सामग्रियां, पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद, खेल उपकरण / उपभोग्य सामग्रियों आदि पर व्यय शामिल हैं।

Eklavya Model residential schools in Jharkhand

†*113. SHRI SAMIR ORAON: Will the Minister of TRIBAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the Total number of Eklavya Model Residential Schools (EMRSs) proposed to be opened in Jharkhand;

(b) the Total number of Eklavya Model Residential Schools (EMRSs) already opened in Jharkhand so far; and

(c) the details of Total funds proposed to be spent per student every year in these schools in Jharkhand?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS (SHRIMATI RENUKA SINGH SARUTA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Ministry of Tribal Affairs has sanctioned a Total number of 46 Eklavya Model Residential Schools (EMRSs) for the State of Jharkhand, out of which 13 EMRSs are currently functional. In addition, the State is proposed to have EMRSs in 47 more blocks as

†Original notice of the question was received in Hindi.

per the criteria decided by the Government. Ministry provides recurring cost of ₹ 1,09,000/- per student per year which includes the expenditure on mess, uniform, text books, toilet-ries, consumables, staff salary, office expenses, computer consumables, laboratory consumables, purchase of library books, sports equipment/consumables etc.

डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे: माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि एकलव्य विद्यालयों का यह एक नया प्रयास है। इसके पहले देश में जो केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे बहुत अच्छे प्रतिमान यानी मॉडल्स विकसित किये हैं, तो क्या एकलव्य विद्यालय के विकास के संदर्भ में चर्चा करते हुए केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के मॉडल्स का अध्ययन किया जायेगा?

श्रीमती रेणुका सिंह सरुता: माननीय सभापति जी, सुदूर क्षेत्रों में आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हमारी सरकार ने 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय' प्रारम्भ किये हैं। पूरे देश में 438 एकलव्य मॉडल स्कूल स्वीकृत कर दिये गये हैं, जिनमें से 282 स्कूल्स संचालित हैं। हमारे मंत्रालय ने यह तय किया है कि ऐसे ब्लॉक्स, जहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से ऊपर होगी या ऐसे ब्लॉक्स, जहाँ पर 20,000 से ऊपर आदिवासी जनसंख्या होगी, ऐसे समस्त ब्लॉक्स में हम एकलव्य मॉडल स्कूल खोलेंगे। इस समय पूरे देश में 594 ऐसे आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक्स हम लोगों ने तय कर लिये हैं।

श्री सभापति: ठीक सुझाव दिया है- केन्द्रीय विद्यालय और एकलव्य विद्यालयों के बीच में।

श्रीमती रेणुका सिंह सरुता: माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या एकलव्य मॉडल स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय और सेंट्रल स्कूल की तर्ज पर होंगे, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारे मंत्रालय ने इसके लिए अभी तैयारी प्रारम्भ कर दी है और एक साल के बाद, यानी नेक्स्ट सत्र में हम जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य मॉडल स्कूल को प्रारम्भ करेंगे।

श्रीमती सम्पतिया उड्डे: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि देश में जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को साक्षरता के साथ-साथ हुनरमंद बनाने के लिए कोई अन्य विशेष प्रावधान किये जा रहे हैं?

श्रीमती रेणुका सिंह सरुता: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारे मंत्रालय ने व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए प्रदेश सरकारों को अलग-अलग निधि जारी की है। वैसे यह जो योजना है, यह पूरे तरीके से माँग-आधारित योजना है। प्रदेश सरकारों से जो माँग हमारी केन्द्र सरकार के पास आती है, उस आधार पर हम वहाँ पर रहने वाले ट्राइबल बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए यहाँ से राशि उपलब्ध कराते हैं। मैं यह जानकारी भी देना चाहती हूँ कि वहाँ पर जो भी नौजवान ट्रेनिंग लेते हैं, उनको हम 30,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से देते हैं। जो हमारे संविधान की धारा 275(1) है, इसमें जो विशेष केन्द्रीय सहायता मद है, इसको हम उस स्कीम के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं।